

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 25.11.2022 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की आपात बैठक दिनांक 25.11.2022 को सायं 04:00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के प्रारंभ में कुलसचिव ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० पी.के. बाजपेयी	सदस्य
3.	प्रो० प्रवीण कुमार मिश्रा	सदस्य
4.	प्रो० एस.एस. सिंह	सदस्य
5.	प्रो० व्ही.एस. राठौर	सदस्य
6.	प्रो० ए.एस. रणदिवे	सदस्य
7.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी	सदस्य
8.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
9.	डॉ० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
10.	डॉ० आर.के. चौबे	सदस्य
11.	डॉ० एस.के. प्रजापति	सदस्य
12.	प्रो० मनीष श्रीवास्तव, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० डी.एन. सिंह
2. प्रो० अशोक कुमार मिश्रा
3. प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव
4. प्रो० एम.के. सिंह
5. डॉ० बी.आर. रावटे

स्थायी समिति के बैठक के प्रारम्भ में कुलपति महोदय ने नव नियुक्त अधिष्ठाताओं का स्वागत किया एवं विश्वविद्यालय के निरंतर प्रगति हेतु सतत प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया।

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.11.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.11.2022 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 02 विश्वविद्यालय के द्वारा i3 कम्प्यूटर के स्थान पर i7 कम्प्यूटर क्रय करने पर विचार।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि आईसीटी कमेटी के अनुशंसानुसार समान स्पेसिफिकेशन के i7 कम्प्यूटर खरीदे जायें।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि कम्प्यूटर खरीदी हेतु निम्नानुसार बजट का आबंटन किया जाय—

1. कम्प्यूटर क्रय हेतु (पूर्व आबंटित बजट 100.00 लाख रुपये को शामिल करते हुए) कुल 450.00 लाख रुपये

Ray
25/11/22

Sanjiv
25/11/2022

2. कम्प्यूटर हेतु फर्निचर, यूपीएस, अन्य आवश्यक सुसंगत आधारभूत संसाधन— 100.00 लाख रूपये।
उपरोक्तानुसार कुल 550.00 लाख रूपये धनराशि/बजट आबंटन संबंधी आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र.01 विश्वविद्यालय के आगामी दसवें दीक्षांत समारोह आयोजन संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय का दसवां दीक्षांत समारोह शैक्षणिक सत्र 2021-22 की विभिन्न परीक्षाओं के पदक वितरण हेतु एवं दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.12.2022 तक शोध उपाधि हेतु योग्य घोषित किये गये शोधार्थियों को उपाधि प्रदान करने आयोजित किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि दसवें दीक्षांत समारोह के आयोजन हेतु तिथि निर्धारण, अतिथि निर्धारण एवं समिति गठन हेतु कुलपति महोदय स्थायी समिति की ओर से अधिकृत रहेंगे।

अ.अ.वि.क्र.02 एन.ई.पी. 2020 के अंतर्गत बी.टेक कार्यक्रम संचालित किये जाने संबंधी अध्यादेश को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू न किये जाने संबंधी विषय पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि वर्तमान में इस विषय को स्थगित रखा जाय।

अ.अ.वि.क्र.03 शोध ग्रंथ जमा करने संबंधी लंबित तीन आवेदनों जिसमें से एक वानिकी विभाग का तथा दो आंग्ल एवं विदेशी भाषा विभाग से संबंधित है पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के प्रभावी शोध विनियम तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी समयावधि वृद्धि संबंधी दिशा-निर्देशों के अधीन तीनों आवेदकों को दिनांक 31.12.2022 तक शोध ग्रंथ जमा करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान की जाय। उक्त तीनों शोधार्थियों को अद्यतन स्थिति में प्रमाण पत्र एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर अपने शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष से हस्ताक्षर प्राप्त करने होंगे एवं नवीनतम तिथि के साथ शोध ग्रंथ जमा करने हेतु स्वीकार किये जा सकेंगे।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव

कुलपति/अध्यक्ष